

नगर पालिका, विद्या विहार

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.:

LSG/VIDHYA VIHAR/FIRENOC/2023-24/26070

जारी दिनांक:

21-MAR-2024

वैधता दिनांक:

20-MAR-2025

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: KAJAL MARWAHA

आवेदक का पता:

VIDYA NIKETAN BIRLA PUBLIC SCHOOL PILANI
JHUNJHUNU

विषय:- अग्रिमशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाल

आपके भवन VIDYA NIKETAN BIRLA PUBLIC SCHOOL, 00, LUHARU ROAD, PILANI, VIDYAVIHAR, JHUNJHUNU, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया विरीक्षण के दौरान अग्रिम सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अव्यया अनापत्ति स्वतः विरस्त मानी जायेगी।
2. अग्रिमशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
3. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्रिमशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा लिंडेशॉ का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या नियम द्वारा अधिकारी में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते हैं तो प्रबन्धक को मान्य होंगे।
6. भवन का मूल्य अग्रिमशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरूप नहीं पाए जाने कि इथर्टि में यह अग्रिमशमन पत्र विरस्त माना जाएगा।
7. पाली के टैक हर समय भरे रखने होंगे व पर्म व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील रहित रखने को वाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को बलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन रखाना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवश्य रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाये।
11. रोप लेडर व दो रस्ता भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्रिम सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्रिम सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाह हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एंव इस वाल
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र लॉकटॉफ रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा लॉकटॉफ रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



Signed by: Bharat Kumar Haritwal
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: VIDHYA VIHAR, Rajasthan
Date: 21/03/2024 12:23:37

अग्रिमशमन अधिकारी
नगर पालिका, विद्या विहार